

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-ई-18/एम/डीपीसी/काअ/09/099

दिनांक:- 20/5/09

आदेश


निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-18/एम/डीपीसी/व0लि0/08/996 दिनांक 19.5.09 के द्वारा राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 32 के अन्तर्गत कार्यालय सहायक से कार्यालय अधीक्षक पद पर पदोन्नत निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तुरन्त प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम कर्मचारी	वर्तमान पदस्थापन स्थान	पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान
1	श्री नानूराम वैष्णव	मुख्य चिकि० एवं स्वा० अधि० बांसवाडा	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी भीलवाडा
2	श्री मुरलीधर आसवानी	जे० एल० एन० चिकि० अजमेर	जे० एल० एन० चिकि० अजमेर
3	श्री ठाकुर गुरवानी	कमला नेहरू प्रादे० क्षय प्रदर्शन एवं प्रशि०केन्द्र, अजमेर	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ब्यावर
4	श्री भगवानसहाय मिश्रा	मुख्य चिकि० एवं स्वा० अधि० अलवर	निदेशालय चिकि० एवं स्वा० सेवाएं, जयपुर
5	श्री रामप्रकाश खत्री	प्रमुख चिकि० अधिकारी अलवर	निदेशालय चिकि० एवं स्वा० सेवाएं, जयपुर
6	श्री जगन्नाथ प्रसाद	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सवाई माधोपुर	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी करौली

उपरोक्त कर्मचारी अपने पदोन्नति स्थान पर दिनांक 10.6.09 तक कार्यग्रहण कर लें अन्यथा उक्त पदोन्नति आदेश निरस्त समझे जायेंगे ।

नोट:- जो कर्मचारी पदोन्नति पर निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करता है तो उन्हें दिया गया चयनित वेतनमान राज्य सरकार के आदेश दिनांक 17.2.98 में उल्लेखित प्रावधानानुसार तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहरित कर लिया जाये तथा कर्मचारी को भी अवगत कराये ।

राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ07(1)/डीओपी/ए-11/95 दिनांक 20.6.2001 के परिप्रेक्ष्य में यदि उपरोक्त कर्मचारियों में से किसी के दिनांक 1.6.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान उत्पन्न हुई हो तो पदोन्नति अगले पांच वर्ष के लिए रूक जायेगी एवं पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जाये इस आशय का संबंधित कर्मचारी से संबंधित अधिकारियों द्वारा शपथ पत्र प्राप्त कर ही कार्यग्रहण कराये ।


  
 अति० निदेशक (प्रशासन)  
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,  
 राज० जयपुर

कमांक:-ई-18/एम/डीपीसी/काअ/09/११११

दिनांक:-20/5/09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- समस्त संबंधित प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0
- 2- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय ।
- 3- समस्त संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
- 4- आदेश/रक्षित पत्रावली ।



अति0 निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,  
राज0 जयपुर